



डफिँस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना

प्रीलिमिंस के लिये:

परयोजना के मुख्य प्रावधान

मेन्स के लिये:

परयोजना का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में घरेलू रक्षा क्षेत्र तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढाँचे को अत्याधुनिक एवं उन्नत करने के लिये 400 करोड़ रुपए की रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (Defence Testing Infrastructure Scheme-DTIS) को मंजूरी प्रदान की गई है।

योजना के प्रमुख बटु:

- डफिँस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की अवधि पाँच वर्षों के लिये होगी।
- योजना में नज़ी उद्योगों की साझेदारी के साथ 6- 8 नई परीक्षण सुविधाएँ (Test Facilities) स्थापित करने की परकिल्पना की गई है।
- परयोजना लागत का कुल 75% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जबकि अन्य 25% का वहन 'वर्षीष प्रयोजन वाहन' (Special Purpose Vehicle-SPV) के द्वारा किया जाएगा, जिसके घटक भारतीय नज़ी संस्थाएँ एवं राज्य सरकारें होंगी।

वर्षीष प्रयोजन वाहन (SPV)-

- यह एक प्रायोजक कंपनी होती है जो प्रारंभिक पूंजी और संपत्ति प्रदान करती है
- तकनीकी रूप से SPV एक लिमिटेड कंपनी होती है जसि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया जाता है।
- इसका स्वामित्व सार्वजनिक, नज़ी या संयुक्त हो सकता है।
- योजना के तहत एसपीवी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
- इस योजना के तहत वर्षीष प्रयोजन वाहन को यह अधिकार होगा कि वह स्व-स्थायी तरीके से उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करके तथा योजना के अंतर्गत शामिल सभी परसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करे।
- इस योजना के तहत परीक्षण किये गए उपकरण/प्रणाली को उपयुक्त मान्यता के अनुसार प्रमाणिकता प्रदान की जाएगी।

परयोजना का महत्त्व:

- सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को गति मिलेगी।
- स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, फलस्वरूप सैन्य उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता कम होगी।
- परयोजना आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

स्रोत: पीआईबी

